न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री सीताराम जाट, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 27/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/45

प्रार्थी

आई. डी. एफ. सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड सैकिण्ड फलोर, मनउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम,एच.एस. बी.सी. बैंक के सामने, जरिये अधिकृत अधिकारी श्री अक्षय खण्डेलवाल।

बनाम

1.अशोक कुमार पुत्र मांगीलाल, प्रथम पता– पट्टा नम्बर 38,वार्ड नं0 07ग्राम–कैराप, तहसील–डीडवाना, जिला– डीडवाना–कुचामन।,द्वितीय पता–मार्फ्त–अशोक कुमार गुरूकृपा फर्नीचर एण्ड एल्युमिनियम, ग्राम–कैराप, डीडवाना, जिला–डीडवाना–कुचामन।, तृतीय पता–कैराप, कोलिया,(लैण्ड मार्क मन्दिर) जिला– डीडवाना–कुचामन।

2. मांगीलाल पुत्र उमाराम, प्रथम पता– 113, कबुतर खाने के पास, कैराप, डिडवाना, जिला– डीडवाना–कुचामन, द्वितीय पता–पट्टा नम्बर 38, वार्ड नं. 7 ग्राम कैराप, त0 डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन।, तृतीय पता– कैराप, कोलिया,(लैण्ड मार्क मन्दिर) जिला– डीडवाना–कुचामन।

3. चन्दा देवी पत्नि अशोक कुमार, प्रथम पता– कैराप, कोलिया,(लैण्ड मार्क मन्दिर) जिला– डीडवाना–कुचामन।, द्वितीय पता–पट्टा नम्बर 38,वार्ड नं0 07ग्राम–कैराप, तहसील–डीडवाना, जिला– डीडवाना– कुचामन।, तृतीय पता– 111, कबुतर खाने के पास, कैराप, डिडवाना, जिला– डीडवाना–कुचामन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋणि की बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने के संबंध में।

आदेश

दिनांक: 04/10/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:32:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को रूपये 435000/–(अक्षरे रूपये चार लाख पेंतीस हजार मात्र) दिनांक 19.12.2019 को

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– प्लाट पट्टा नम्बर 38, वार्ड नं. 07, ग्राम–कैराप, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में अप्रार्थी की सम्पत्ति, पश्चिम में मकान हजारी, उत्तर में अप्रार्थी की सम्पत्ति, व दक्षिण में भंवरी देवी स्थित है।** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 01.06.2021** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 434978.67/–(अक्षरे रूपये चार लाख चौंतीस हजार नौ सौ अठहत्तर रूपये सडसठ पैसे मात्र) दिनांक 04.08.2021 तक शेष देय व दिनांक 05.08.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 04.08.2021** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाथी गई व ना ही बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राषि **रूपये 434978.67/–(अक्षरे रूपये चार लाख चौंतीस हजार नौ सौ अठहत्तर रूपये सडसठ पैसे मात्र)) दिनांक 04.08.2021 तक शेष देय व दिनांक 05.08.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैं।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता की आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **प्लाट पट्टा नम्बर 38, वार्ड नं. 07, ग्राम–कैराप, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में अप्रार्थी की सम्पत्ति, पश्चिम में मकान हजारी, उत्तर में अप्रार्थी की सम्पत्ति, व दक्षिण में भंवरी देवी स्थित है।** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से रूपये 435000/–**(अक्षरे रूपये चार लाख पेंतीस हजार मात्र) दिनांक 19.12.2019** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की अपेक्षा की जाती हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:32:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक डीडवाना–कुचामन को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **प्लाट पट्टा नम्बर 38, वार्ड नं. 07, ग्राम–कैराप, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में अप्रार्थी की सम्पत्ति, पश्चिम में मकान हजारी, उत्तर में अप्रार्थी की सम्पत्ति, व दक्षिण में भंवरी देवी स्थित है।** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(सीताराम जाट, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:32:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner